भारत सरकार
पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकत प्रश्न सं. 3315
दिनांक 9 दिसम्बर, 2019

गेल और आईओसीएल के मध्य समझौता

3315. सुश्री महुआ मोइत्राः

क्या पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या कसी निजी संस्था के साथ व्यापक तकनीकी-वाणज्यिक वमर्श के माध्यम से 46,500 करोड़ रु. के कसी तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर कए गए हैं और यदि हां, तो उस कंपनी का नाम क्या है और इस संबंध में सीवीसी के क्रय-संबंधी दिशा-निर्देश क्या हैं; और

(ख) क्या 'गेल' और सरकारी स्वामत्व वाले पारादीप बन्दरगाह के मध्य उक्त परियोजना के लए एक 2500 करोड़ रु. के समझौते पर हस्ताक्षर कए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज) को, कार्य प्रदान करते समय/कसी भी करार पर हस्ताक्षर करते समय सरकार/सार्वजनिक उद्यम वभाग/सीवीसी द्वारा समय-समय पर जारी वभन्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षत होता है।

(ख) जी नहीं। गेल ने दिनांक 26.10.2013 को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (पीपीटी) के न्यासी मंडल के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कए थे जो 26.01.2017 को समाप्त हो गया है।

****